न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट, चामुण्डेरी
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 62 / 2021 GCMS No 2021 / 156
दायरा तिथि : 06.08.2021
फैसला तिथि : 5-10-2021

प्रार्थीगण::–

1. जोरसिंह पुत्र सांकलसिंहजी
2. अमयाकँवर पत्नि गुलाबसिंहजी
3. अर्जुनसिंह पुत्र सांकलसिंहजी
4. कमलाबाई पत्नि बाबूसिंहजी
5. किशोरसिंह पुत्र भूतसिंहजी
6. जब्बरसिंह पुत्र श्री बाबूसिंहजी
7. दलपतसिंह पुत्र श्री भूतसिंहजी
8. दीवानकँवर पुत्री गुलाबसिंहजी
9. धनसिंह पुत्र गुलाबसिंहजी
10. फुलकँवर पत्नि कपूरसिंहजी
11. भरतसिंह पुत्र बाबूसिंहजी
12. भोपालसिंह पुत्र भुतसिंहजी
13. मगनसिंह पुत्र बाबूसिंहजी
14. मोहनसिंह पुत्र कपूरसिंहजी
15. रणजीतसिंह पुत्र बाबूसिंहजी
16. रमेशसिंह पुत्र कपूरसिंहजी
17. रावतसिंह पुत्र सांकलसिंहजी
18. शैतानसिंह पुत्र बाबूसिंहजी
19. सूरजकँवर पुत्री कपूरसिंहजी
20. हरिसिंह पुत्र सांकलसिंहजी
21. हिम्मतसिंह पुत्र रूपसिंहजी

जातिगण राजपुत निवासीगण चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 5-10-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी राणावतान में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2735 रकबा 0.38 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम की स्थित रही हैं। इस भूमि मेंसे 0.25 हैक्टर (2500 वर्गमीटर) प्रार्थीगण ने आवासीय यूनिट के तौर पर प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बाली के आदेश क्रमांकःएफ. 12(3)()राज / संप. / 2011 / 4355 दिनांक 15.11.2011 से सपंरिवर्तन कराया। संपरिवर्तन आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया एवं नक्शे में भी सही तौर पर तरमीम कर दी गई, परन्तु वर्तमान में तहसील ऑन लाईन सेग्रीगेशन के दौरान् तैयार कम्प्युटराईज्ड नक्शे में पुर्व में किये गये तरमीम की स्थिति को बदल दिया हैं। अतः दुरस्ती के माध्यम से नक्शे में पुर्वानुसार शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में संपरिवर्तन आदेश प्रति, आदेश की पालना में पटवारी हल्का, चामुण्डेरी द्वारा ऑफ लाईन किये गये तरमीमी नक्शे की प्रति, एवं साथ ही वर्तमान में त्रुटिपुर्ण नक्शे की प्रति पेश की गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सबंध में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का, चामुण्डेरी, निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी ने जांच कर रिपोर्ट तहसीलदार, बाली के माध्यम से पेश की। निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी व पटवारी हल्का, चामुण्डेरी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चामुण्डेरी के खाता संख्या 625 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज खसरा नंबर 2735 के संपरिवर्तन आदेश में आवेदक के द्वारा पश्चिम से पूर्व दिशा में खसरा नंबर 2734 की तरफ 0.25 हैक्टर संपरिवर्तन कराया, परन्तु वक्त सेग्रीगेशन तरमीम उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम कर दी गई। अतः पुनः तरमीम पश्चिम से पूर्व दिशा में खसरा नंबर 2734 की तरफ किया जाना उचित बताया। पटवारी हल्का चामुण्डेरी व निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से तहसीलदार, बाली ने सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार नक्शे में शुद्धि किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 62/2021 **GCMS No 2021/156**

अनवान जोरसिंह वगैरा बनाम राज.सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 2735/1 रकबा 0.25 हैक्टर की भूमि के राजस्व रेकर्ड अर्थात् नक्शा के कम्प्युटरीकरण (सेग्रीकेशन) से पूर्व के नक्शें एवं मौके की स्थिति के अनुसार वर्तमान नक्शे को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का, चामुण्डेरी द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत संशोधित नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर नक्शे में शुद्धि कर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली कैम्प चामुण्डेरी

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

आदेश आज दिनांक 5-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली केम्प चामुण्डेरी

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner